बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 180820 पटना, दिनांक 19/03/14

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(शिथिलीकरण)-106-06/2014

प्रेषक,

प्रमोद कुमार बिहारी,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- वर्ष 2013-14 में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत राज्यांश के रूप में सहायक अनुदान वेतनादि के अलावे मद में आवंटित राशि की निकासी के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत राज्यांश के रूप में सहायक अनुदान वेतनादि के अलावे मद में जिलों को निधि का आवंटन किया गया है, किन्तु कतिपय जिलों द्वारा विभाग को यह सूचना दी गयी थी कि वित्त विभागीय पत्रांक-1790 दिनांक-21.02.14 की कंडिका-2(ग) में बंधेज के कारण इस मद की राशि की निकासी करने में कोषागार द्वारा आपत्तियाँ दर्ज की जा रही है ।

उक्त के आलोक में विभाग द्वारा वित्त विभागीय उक्त बंधेज को शिथिल करने के लिए किये गये अनुरोध के आलोक में वित्त विभाग के पत्र संख्या-2603 दिनांक-19.03.14 के क्रमांक-2 के सामने संगत विपत्र कोडों के अंतर्गत आवंटित राशि में से कॉलम-6 में वर्णित कुल राशि की निकासी हेतु वित्त विभागीय पत्र संख्या-1790 दिनांक-21.02.14 की कंडिका-2(ग) के बंधेज को शिथिल करने का निर्णय सभी कोषागार पदाधिकारी को संसूचित किया गया है ।

इसी प्रकार वर्ष 2013-14 में बजट उपबंध एवं स्वीकृत राशि में से अवशेष राशि का आगे आवंटन की जाने वाली राशि की निकासी हेतु भी वित्त विभाग के उक्त बंधेज को शिथिल करने के निमित्त किये गये अनुरोध के आलोक में वित्त विभागीय पत्र संख्या-2603 दिनांक-19.03.14 के क्रमांक-3 के सामने संगत विपत्र कोडों के अंतर्गत कॉलम-6 में वर्णित कुल राशि की निकासी हेतु वित्त विभागीय पत्र संख्या-1790 दिनांक-21.02.14 की कंडिका-2(ग) के बंधेज को शिथिल करने का निर्णय सभी कोषागार पदाधिकारी को संसूचित किया गया है ।

अतः वित्त विभागीय उक्त पत्र की प्रति सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न करते हुए अनुरोध है कि पत्र में वर्णित संगत मुख्य शीर्ष एवं अन्य शीर्ष, विपत्र कोड एवं विषय शीर्ष के अंतर्गत आवंटित राशि एवं आगे आवंटित की जाने वाली राशि की निकासी सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

(प्रमोद कुमार बिहारी)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 180820 पटना, दिनांक 19/03/14

प्रतिलिपि- अनुलग्नक सहित, सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

मुकेश

पत्र सं०-एम-4-21/2012................../वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

जयन्त कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी कोषागार पदाधिकारी,
बिहार ।

पटना-15, दिनांक-

विषय :- वित्तीय वर्ष 2013-14 में बजट में उपबंधित राशि की निकासी हेतु शिथिलीकरण के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि वित्त विभागीय पत्र सं०-1790 दिनांक 21.02.2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 की समाप्ति पर कोषागार में विपत्रों की संख्या एवं अनावश्यक खर्च नियंत्रित करने के उद्देश्य से कतिपय निदेश दिये गये हैं । इसी आलोक में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वित्त विभागीय पत्र सं०-1790 दिनांक 21.02.2014 की कंडिका-2(ग) को शिथिल करने का अनुरोध है ।

इसी सन्दर्भ में ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरान्त इंदिरा आवास योजनान्तर्गत राज्यांश के रूप में सहायक अनुदान वेतनादि के अलावे मद की निम्नलिखित मुख्य एवं अन्य शीर्ष, विपत्र कोड एवं विषय शीर्ष के सामने कॉलम- 6 में उल्लिखित राशि की निकासी हेतु वित्त विभागीय पत्र सं०-1790 दिनांक 21.02.2014 की कंडिका-2(ग) को शिथिल किया जाता है ।

क्र०	विवरण	मुख्य शीर्ष-2216-आवास, उप मुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण आवास, लघुशीर्ष-105-इंदिरा आवास योजना, उप शीर्ष-0102-इंदिरा आवास योजना, विपत्र कोड-पी-2216031050102, विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावे	मुख्यशीर्ष-2216-आवास, उप मुख्य शीर्ष-03- ग्रामीण आवास, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0102- इंदिरा आवास योजना, विपत्र कोड-पी-2216037890102, विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावे	मुख्य शीर्ष-2216-आवास, उप मुख्य शीर्ष-03- ग्रामीण आवास, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना, उप शीर्ष-0102- इंदिरा आवास योजना, विपत्र कोड-पी-2216037960102 विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावे	योग
1	2	3	4	5	6
2.	जिलों को पूर्व में आवंटित राशि में से निकासी हेतु अवशेष राशि की निकासी के लिए शिथिलीकरण	2367.069 लाख (तेईस करोड़ सड़सठ लाख छः हजार नौ सौ)	1234.502 लाख (बारह करोड़ चौंतीस लाख पचास हजार दो सौ)	0.105 लाख (दस हजार पांच सौ)	3601.676 लाख (छत्तीस करोड़ एक लाख सड़सठ हजार छः सौ)
3.	बजट उपबंध एवं स्वीकृत राशि में से अवशेष राशि से आगे आवंटन की जाने वाली राशि की निकासी हेतु शिथिलीकरण	1874.191 लाख (अठारह करोड़ चौहत्तर लाख उन्नीस हजार एक सौ)	2627.688 लाख (छब्बीस करोड़ सत्ताईस लाख अड़सठ हजार आठ सौ)	-	4501.879 लाख (पैंतालीस करोड़ एक लाख सत्तासी हजार नौ सौ)
				कुलः–	₹8103.555 लाख

(इक्कासी करोड़ तीन लाख पचपन हजार पांच सौ रु०)

विश्वासभाजन,

ह०/-

(जयन्त कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

Pramod\Sec-4\page-37